



स मा चार

राष्ट्रपतीय निर्वाचन में सुरक्षा व अन्य व्यवस्था को लेकर विधानसभा में प्रमुख सचिव द्वारा समीक्षा बैठक सम्पन्न

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2022

राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2022 के संबंध में सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आज विधानसभा में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं विधानसभा प्रमुख सचिव, श्री एपी सिंह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभागीय आयुक्त भोपाल संभाग श्री गुलशन बामरा, पुलिस कमिश्नर भोपाल श्री मकरंद देउसकर एवं कलेक्टर भोपाल श्री अविनाश लवानिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी, मप्र विधानसभा सचिवालय एवं संबंधित लोक निर्माण विभाग के अलावा संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव विधान सभा द्वारा उल्लेख किया गया कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई, 2022 को होने वाले निर्वाचन हेतु मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए मतदान केंद्र विधान सभा सचिवालय में बनाया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन आयोग के निर्देशन में व्यवस्थित रूप से पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ प्रशासन के सहयोग से सम्पन्न होना है। साथ ही विधायकों के स्वास्थ्य व कोविड बचाव के परिपेक्ष्य में व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाना है।

बैठक में विधानसभा भवन, चुनाव सामग्री की चाक-चौबंद सुरक्षा व अन्य व्यवस्थाओं के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस दौरान विधानसभा में प्रवेश करने वालों एवं विधानसभा की व्यवस्थाओं से संबंधित व्यक्तियों के पहचान संबंधी अभिलेख संरक्षित करने एवं पुलिस सत्यापन की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए गए।

दिनांक 13 जुलाई, 2022 को राजा भोज विमानतल भोपाल से मतपेटी विधानसभा सचिवालय में पुलिस अभिरक्षा के तहत लाने एवं स्ट्रांग रूम में रखे जाने तथा दिनांक 18 जुलाई, 2022 को स्ट्रांग रूम से मतदान मतपेटी को पुनः मतपेटी विमानतल तक पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षित पहुंचाई जाएगी। राष्ट्रपति निर्वाचन के दिन विधायकों के मोबाइल फोन, पैन एवं अन्य उपकरण मतदान कक्ष में वर्जित किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षित रखे जाने के लिए प्रथक से काउंटर बनाया गया है। मतदान दिवस को विधायकों के साथ आने वाले अन्य व्यक्ति के प्रवेश को भी वर्जित किया गया है। इसके साथ ही मतदान के दिन मीडिया प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन कार्यालय के सीमित क्षेत्र तक सुविधानुसार सीमित संख्या में चित्र एवं वीडियो हेतु प्रवेश सुरक्षा मापदंड के अनुसार होगा।

यदि कोई सदस्य इस अवधि में कोविड-19 से संक्रमित होता है तो सूचना प्राप्त होने पर सदस्य को कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए मतदान की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही कोविड-19 संक्रमण से बचाव के परिपेक्ष्य में मतदान केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग, रैपिड जांच/ आरटीपीसीआर जांच, ऑक्सीजन स्तर की जांच, मॉस्क, सुसज्जित एंबुलेंस, आपातकालीन उपकरण एवं सैनिटाइजेशनक की व्यवस्था भी 17 एवं 18 जुलाई 2022 को करने के निर्देश बैठक में दिए गए हैं।

वि.स./ज.स./22

(नरेन्द्र मिश्रा)

अवर सचिव